हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.क्र. 05/2025 अनिता बनाम राज. सरकार	नम्बर व ता[illegible] अहकाम जो[illegible] हुक्म की ता[illegible] जारी हु[illegible]
26/8/25	पत्रावली पेश हुई। आवेदक प्रार्थी उपरा प्रार्थना पत्र प्राप्त स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर पारित किया है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। Sd/- उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र कमांकः– ~~06/2023~~ 05/2025

1. उर्मिला पत्नि सोहनलाल
2. जीतेन्द्र कुमार
3. नन्दकिशोर डागुर
4. शिवसिंह
5. हाकिम सिंह पुत्रान सोहनलाल
6. निकीता
7. पायल
8. राजवती पुत्रीयान सोहनलाल समस्त जातियान जाट निवासीयान नगला बीजा।

...................प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील उच्चैन भरतपुर राज0।

...................अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 128 एल.आर.ए.

उपस्थितिः–

1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट

निर्णय दिनांकः– 26.08.2025

प्रार्थीगण के द्वारा जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.ए. के तहत पेश कर निवेदन किया है कि हम प्रार्थीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 403/102 रकवा 0.12है0 बाके ग्राम शेरीखुर्द में स्थित है। उक्त आराजी पर हम प्रार्थीगण के अलावा अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है उक्त आराजी पर हम प्रार्थीगण शान्तिपूर्वक काबिज होकर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी के चारों तरफ पुश्तैनी डौल मैड पूर्वजों के जमाने की डली हुयी है जिसके अन्दर काबिज होकर हम प्रार्थीगण काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी के चारों तरफ पूर्वजों के जमाने से डली हुयी डौल मैडों को पडोसी खातेदार धीरे–धीरे कर तोडते रहते है एवं उक्त आराजी की फसल को आवारा पशु नुकसान पहुंचाते रहते है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी की डौल मैडों एवं फसल की सुरक्षा के लिये पत्थरगढी किया जाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण उक्त आराजी की पैमाइश कराना चाहते थे एवं हल्का पटवारी दिनांक 13.05.2025 को उक्त आराजी की पैमाइश करने आराजी पर पहुंचे तो पडौसी खातेदारान ने पैमाइश नहीं करने दी। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया ज़ाकर ग्राम शेरीखुर्द की आराजी खसरा नम्बर 403/102 की पुलिस इमदाद में पत्थरगढी कराने की आज्ञा पारित किये जाने का निवेदन किया है।

Bharti

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार ने जबाव पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम शेरीखुर्द के आराजी ख.नं. 403/102 रकवा 0.12है0 उर्मिला देवी पत्नि सोहनलाल, जीतेन्द्र कुमार, नन्दकिशोर डागुर, शिवसिंह, हाकिमसिंह पि. सोहनलाल निकिता, पायल पौत्री सोहनलाल राजवती पौत्री सोहनलाल जाति जाट सा. नगला खातेदार दर्ज रिकार्ड है उक्त खसरा नम्बर पर खातेदारान का पडौसी खातेदारान से सीमा के सम्बन्ध में विवाद है। मौके पर पैमाइश करने पर पडोसी खातेदार द्वारा नक्शे के सम्बन्ध में आपत्ति जाहिर की गई।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी नगला बीजा में स्थित है। मुझ प्रार्थी द्वारा अपनी विवादित आराजी की पैमाइश करायी थी लेकिन पडौसी खातेदारान द्वारा विवाद कर दिया जिसके कारण पैमाइश नहीं हो पाई। मेरी आराजी के आसपास के क्षेत्र पर पडौसी खातेदारों के द्वारा कब्जा किया हुआ है इसलिए विवादित आराजी की पत्थरगढी जरिये पुलिस इमदाद किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार उच्चैन से प्राप्त जबाव का अवलोकन किया गया। तहसीलदार उच्चैन के जबाव के अनुसार उक्त विवादित आराजी की सीमाओं के संबंध में पडौसी खातेदारान के साथ विवाद है एवं पडौसी खातेदारों के द्वारा नक्शे के सम्बन्ध में आपत्ति जाहिर की गई हैं जिसके कारण उक्त विवादित आराजी की पैमाइश नहीं की जा सकी है। चुंकि उक्त विवादित आराजी की सीमाओं के सम्बन्ध में पडौसी खातेदारों से विवाद है एवं पडौसी खातेदारों के द्वारा नक्शे के संबंध में आपत्ति दर्ज करायी गई है जिसके कारण उक्त आराजी की पैमाइश नहीं की जा सकी प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है:–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 26.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर